राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग

क्रमांकः प.3(8) प्र.सु./टाइम्स/2013 दिनांकः 13 अप्रेल, 2015

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषयः— मुख्य सचिव के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2014 के अनुसार भ्रमण, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2014 के द्वारा आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से पटवारी से लेकर जिला कलक्टर एवं उच्चतर अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण, रात्रि विश्राम, जनसुनवाई आदि के मानदण्ड (Norms) निर्धारित किये गये हैं। इस आदेश के बिन्दु संख्या 8 में दिवसवार कार्य सम्पादन का विवरण दिया हुआ है। इसके अनुसार तहसीलदार/विकास अधिकारी, अन्य उपखण्डीय अधिकारी तथा इनसे उच्च समस्त अधिकारी एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्तर/ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। इस संबंध में कई जिला कलक्टरों ने सुझाव दिया है कि मंगलवार एवं शुक्रवार को जिला कलक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कलक्टर में से कोई एक अधिकारी मुख्यालय पर उपलब्ध रहना चाहिये ताकि कार्यालय कार्य सम्पन्न हो सके तथा मिलने वाले आम नागरिकों को असुविधा नहीं हो।

जिला कलक्टरों के सुझाव के मद्देनजर समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2014 के बिन्दु संख्या 8 के क्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण (Clarification) जारी किया जाता हैः—

1. जिला कलक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कलक्टर में से कोई एक अधिकारी मंगलवार एवं शुक्रवार को भ्रमण पर तथा एक अधिकारी जिला मुख्यालय पर रहेंगे। मंगलवार तथा शुक्रवार को मुख्यालय पर रहने वाले अधिकारी आगामी दिवस को भ्रमण पर रहेंगे। किस अधिकारी को मुख्यालय पर रहना है, यह निर्णय जिला कलक्टर करेंगे। पूरे माह के भ्रमण का कार्यक्रम जारी किया जाकर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दौरों से कम से कम 15 दिवस पूर्व अपलोड किया जायेगा एवं संबंधित कार्यालयों यथा जिला कलक्टर, जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसील एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा।
2. उक्त बिन्दु संख्या एक के अनुसार ही उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार में से कोई एक अधिकारी मंगलवार एवं शुक्रवार को उपखण्ड मुख्यालय पर रहेंगे और आगामी दिवस को भ्रमण पर रहेंगे। किस अधिकारी को उपखण्ड मुख्यालय पर

रहना है, यह निर्णय उपखण्ड अधिकारी करेंगे। उपरोक्तानुसार भ्रमण कार्यक्रम राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड़ किया जाकर उक्त समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेश दिनांक 24.12.2014 की पूर्ण पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव (प्रथम एवं द्वितीय), मा. मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त माननीय मंत्रीगण/माननीय राज्यमंत्रीगण।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
4. विशिष्ट सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/राजकीय उपक्रम/निगम/मंडल।
8. समस्त वरिष्ठ उप शासन सचिव/शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
9. श्री अरूण चौहान, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करावें।
10. प्रबन्धक, राजकॉम्प, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

13/4/2015

(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज